International Journal of Advance and Applied Research
www.ijaar.co.in
ISSN – 2347-7075 Impact Factor – 7.328
Peer Reviewed Bi-Monthly
Vol. 11 No. 3 Jan-Feb 2024

# आत्मनिर्भर भारतीय समाज में महिलाओं का योगदान

**आकाश दीप**
शोधार्थी, राजनीति विज्ञान विभाग, मेरठ कॉलिज, मेरठ
**Corresponding Author – आकाश दीप**
**DOI-10.5281/zenodo.10726946**

**शोध सारांशः–**

विश्व स्तर पर अपनी संस्कृति और विरासत के लिए प्रसिद्ध, भारत विविध संस्कृतियों से भरा हुआ देश है। लेकिन भारतीय समाज हमेशा से पुरूष प्रधान देश रहा है। किसी भी समाज का स्वरूप वहाँ की नारी की स्थिति पर निर्भर करता है। यदि समाज में नारी की स्थिति सुदृढ़ एवं सम्मानजनक है तो निःसंदेह वह समाज मजबूत होगा और देश भी समृद्ध होगा। **नेपोलियन बोनापार्ट** ने भी कहा है कि **''मुझे एक योग्य माता दो, मैं तुम्हे एक योग्य राष्ट्र दूंगा।''**[1]

वर्तमान परिदृश्य समाज में देश की करोड़ों महिलाएँ न केवल अपने परिवार की आय बढ़ाकर उन्हें आर्थिक रूप से भी मजबूत कर रही है, बल्कि अर्थव्यवस्था के नए आयाम भी खोल रही है। आज ग्रामीण स्थानीय निकायों में 46 प्रतिशत निर्वाचित प्रतिनिधि महिलाएँ हैं। **स्टैंड अप इंडिया** (महिलाओं के बीच उद्यमशीलता को बढ़ावा देने की योजना) के तहत 80 प्रतिशत लाभार्थी महिलाएँ हैं। प्रधानमंत्री **मुद्रा योजना** के तहत 70 प्रतिशत महिलाओं को ऋण दिया गया है। भारत की महिला कार्य भागीदारी दर वर्ष 2021 में लगभग 25 प्रतिशत थी, जो उभरती हुई अर्थव्यवस्थाओं में सबसे कम थी। लेकिन वर्तमान समय में यह 38.6 प्रतिशत है। जाहिर है महिलाएँ सशक्तिकरण (आत्मनिर्भर) देश के विकास को गति देती हैं। अगर भारत को विकसित राष्ट्र बनाने का सपना पूरा करना है तो आधी आबादी महिलाओं को आत्मनिर्भर भारतीय समाज बनाने में अत्यधिक योगदान करना होगा।

**मूल शब्दः** महिलाएँ, भारतीय समाज, आत्मनिर्भर, शिक्षा–स्तर

**भूमिकाः–**

महिला आत्मनिर्भर आज के समय का सबसे ज्वलंत विषय और समाज के लिए सबसे बड़ी चुनौती भी है। क्योंकि पुरूषों के मुकाबले महिलाएं ज्यादा संवेदनशील, ज्यादा कार्य करने वाली और आर्थिक रूप से पुरूष पर निर्भर रहने वाली और सांस्कृतिक बंधनों की जंजीरों में बंधी होती हैं। किसी भी देश की आर्थिक गतिविधि में महिलाओं की उचित भागीदारी के बिना सामाजिक प्रगति की आशा रखना गलत है। पैलिनी थुराई के अनुसार ''महिला आत्मनिर्भर वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा समाज के विकास की प्रक्रिया में राजनीतिक संस्थाओं के द्वारा महिलाओं को पुरूषों के बराबर मान्यता दी जाती है।''[2]

पुरूष और नारी के भेद का सबसे बड़ा आधार तो उनकी अलग शारीरिक संरचना है। प्रकृति ने पुरूष को एक सांचे में ढाला है, तो नारी को उससे अलग। एक समय था जब समाज पुरूष प्रधान था। पुरूष प्रधान समाज ने अपनी सुविधानुसार नारी को अबला बनाकर घर की चारदीवारी तक सीमित कर दिया था। विकास की निरंतर तेज गति से बदलते दौर ने महिलाओं को प्रगति का समान अवसर दिया। महिलाओं ने अपनी प्रतिभा और लगन के बलबूते पर समाज के हर क्षेत्र में अपनी अमिट छाप छोड़ने का जो सिलसिला शुरू किया वह लगातार जारी है। आज के दौर में कोई भी ऐसा क्षेत्र नहीं जहां महिलाओं की सशक्त उपस्थिति नहीं हो।

आज भी आदर्श भारतीय नारी में तीनों देवियां विद्यमान हैं। आपकी संतान को संस्कार देते समय उसका **''सरस्वती''** रूप सामने आता है। गृह प्रबन्धन की कुशलता से **''लक्ष्मी''** का रूप तथा दुष्टों के अन्याय का प्रतिकार करते समय **''दुर्गा''** का रूप प्रकट होता है। अतः किसी भी मंगल कार्य को नारी की अनुपस्थिति में अपूर्ण माना जाता है। सृष्टि की रचना में नारी और पुरूष दोनों का महत्व है। वे एक दूसरे के पूरक हैं और इसी रूप में उनके जीवन की सार्थकता भी है। समाज का कोई भी ऐसा क्षेत्र नहीं जहां महिलाओं ने अपनी योग्यता और दक्षता का परिचय न दिया हो। परिवार और समाज की जिम्मेदारियों को बखूबी निभाते हुए उन्होंने अपने अन्य लक्ष्यों की पूर्ति की है। महिला की महत्ता पर महात्मा गांधी का विचार है कि ''अगर अहिंसा हमारे अस्तित्व का नियम है तो हमारा भविष्य महिलाओं के हाथों में है।''[3] महिलाएँ समाज एवं राष्ट्र की निर्णायक घटकों में एक महत्वपूर्ण घटक है फिर भी उपेक्षित एवं तृपकृत है। भारतीय संविधान में भी महिलाओं को पुरूषों के बराबरी के दर्जे का प्रावधान है।

**भारतीय संविधान में प्रदत्त संवैधानिक अधिकारः–**

लैंगिक समानता का सिद्धान्त भारतीय संविधान में निहित है। संविधान न केवल महिलाओं को समानता के लिए आश्वस्त करता है, बल्कि राज्य को महिलाओं के पक्ष में ''सकारात्मक उपाय'' करने की शक्ति भी प्रदान करता है, ताकि उनके संचयी सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक अलाभ की स्थिति को कम किया जा सके। महिलाओं से लिंग के आधार पर भेदभाव नहीं किया जायेगा अनुच्छेद–15 और विधि के समक्ष समान संरक्षण अनुच्छेद–14 का मूल अधिकार प्राप्त हैं। संविधान में प्रत्येक नागरिक के लिए यह मूल कर्तव्य निर्धारित किया गया है, वहीं अनुच्छेद–16 सभी नागरिकों को रोजगार का समान अवसर देता है, चाहे महिला हो या फिर पुरूष। संविधान का अनुच्छेद–39 सुरक्षा एवं समान काम के लिए समान वेतन का प्रावधान करता है। जिससे महिलाओं की गरिमा के विरूद्ध प्रचालित अपमानजनक प्रथाओं का त्याग करे एवं समूची दुनिया के साथ–साथ देश में भी महिलाएँ सशक्तिकरण वर्तमान विकासशील समाज में तेजी से आत्मनिर्भर भी हो सके। विश्व में मानव अधिकारों के प्रति जागरूकता के विकास के साथ महिलाओं के अधिकारों की रक्षा के प्रति चिंता बढ़ी है।

भारत में गुलामी की अवधि में सामाजिक स्थितियाँ क्रमशः बिगड़ती गयी और परतंत्रता की मानसिकता ने राष्ट्रकवि मैथलीशरण गुप्त की पंक्तियों को इस प्रकार चरितार्थ किया– ''हम कौन थे, क्या हो गए और क्या होंगे? अभी आओ विचारे आज मिलकर ये समस्याएं सभी''[4] आजादी के 76 वर्षों की विकास यात्रा में देश में महिलाओं, उनकी शिक्षा, स्वास्थ्य, आर्थिक स्थिति और सामाजिक मान्यताओं के प्रति दृष्टिकोण में परिवर्तन की सुगबुगाहट अवश्य लक्षित है।

**भारतीय महिलाओं की भूमिका के विभिन्न स्वरूपः–**

नारी संपूर्ण दुनिय का आधा भाग है। वह एक ऐसी आधी दुनिया है, जो प्रत्येक कदम पर पुरूष द्वारा नियंत्रित और अनुशासित होती रही है। स्त्री सम्पूर्णता का दूसरा पहलू है। वह न केवल पुरूष को पूर्णता प्रदान करती है, बल्कि दुनिया का आधा प्रतिनिधित्व भी उसके हाथों में है। भारतीय समाज में नारी के विविध रूप देखने को मिलते हैं। परिवार में रहती हुई नारी, माँ, बेटी, बहन, पत्नि, सखी, प्रेयसी आदि महत्वपूर्ण रूपों के अतिरिक्त रिश्ते के बंधन में आने पर नारी बहु, ननद, भाभी, सास इत्यादि रूपों में भी अपना कर्तव्य निभाती है एवं प्रत्येक भूमिका निर्वाह के समय उनसे सम्पूर्ण एवं भेदभाव की भावना की अपेक्षा की जाती है। वहां भी उन्हें निम्न परिस्थिति प्राप्त होती है एवं उनका कोई पृथक व स्वतंत्र अस्तित्व नहीं होता है। इस प्रकार स्त्रियों की परिस्थितियों के उतार–चढ़ाव अचानक परिलक्षित नहीं हुआ अपितु यह एक क्रमिक प्रक्रिया का परिणाम है। समाज में जैसे–जैसे परिवर्तन व बदलाव आते गये वैसे–वैसे स्त्रियों की स्थिति में भी परिवर्तन होते गये। आज के समाज में महिलाओं की स्थिति काफी बेहतर है, वर्तमान समय में महिलायें आत्मनिर्भरता की ओर अपने कदम बढ़ा रही हैं।

**महिला आत्मनिर्भर पर प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी जी की मुख्य बातेंः–**

1. प्रधानमंत्री ने कहा कि ''स्वयं सहायता समूह'' में महिलाओं की सक्रियता के कारण काफी बदलाव आया है। कोविड–19 महामारी के दौरान महिलाओं ने मास्क और सैनिटाइजर के निर्माण एवं जन–जागरूकता फैलाने में महत्वपूर्ण योगदान दिया।
2. औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थाओं में तकनीकी शिक्षा में महिलाओं की संख्या 2014 के बाद से दोगुनी हो गयी है, भारत में एसटीईएम (विज्ञान, प्रौद्योगिकी, इंजीनियरिंग और गणित) स्नातकों में लगभग 43 प्रतिशत महिलाएं हैं और लगभग एक–चौथाई अंतरिक्ष वैज्ञानिक महिलाएं हैं। चन्द्रयान, गगनयान और मंगल मिशन जैसे हमारे प्रमुख कार्यक्रमों की सफलता के पीछे इन महिला वैज्ञानिकों की प्रतिभा और कड़ी मेहनत है। आज भारत में पुरूषों के मुकाबले ज्यादा महिलाएं उच्च शिक्षा में प्रवेश ले रही हैं और भारतीय वायुसेना की महिला पायलट लड़ाकू विमान भी उड़ा रही हैं।
3. जलवायु परिवर्तन के नवीन समाधानों की कुंजी महिलाओं के पास है। उन्होंने चिपको आन्दोलन में महिलाओं की भूमिका को रेखांकित किया और कहा कि ''भारत में महिलाएँ 'मिशन लाइफ–पर्यावरण' के लिए जीवन शैली की ब्रांड एंबेसडर भी रही हैं।''[5] विभिन्न पहलों के तहत महिलाएं आत्मनिर्भर हो रही हैं। **स्वामी विवेकानन्द** के कथनानुसार ''कोई राष्ट्र तब तक अपना पूर्ण विकास नहीं कर सकता जब तक कि उसका प्रत्येक नागरिक राष्ट्र के विकास में भागीदार नहीं बनता।''[6] **स्वामी विवेकानन्द** के तथ्यों को ध्यान में रखते हुए, प्रधानमंत्री **नरेन्द्र मोदी** ने दो करोड़ महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने का लक्ष्य रखा है। इसके तहत 15,000 स्वयं (आत्मनिर्भर) सहायता समूह की महिलाओं को ड्रोन चलाने और मरम्मत करने का प्रशिक्षण दिया जाएगा। यह ग्रामीण महिलाओं को सशक्त बनाएगा और देश के कृषि तकनीक क्षेत्र को मजबूत करेगा।
4. मोदी सरकार के कार्यकाल में ही महिलाओं के लिए विभिन्न प्रकार की योजनाएं आरंभ हुई है। मिसाल के तौर पर रसोई गैर से जुड़ी पीएम उज्ज्वला योजना को ही ले लो। इसके तहत 10 करोड़ कनेक्शन महिलाओं को दिए गए। इससे भोजन पकाने में लगने वाले समय को कम किया है। कई तरह के स्वास्थ्य संबंधी जोखिमों से महिलाओं को संरक्षण प्रदान किया है। इसके अलावा जनधन खातों के जरिये वित्तीय तंत्र की मुख्यधारा में महिलाओं के शामिल होने से भी उनमें स्वांवलंबन की भावना बढ़ी है।
5. सर्वेक्षण बताता है कि महिला कार्यबल की हिस्सेदारी के मामले में, 131 देशों की सूचनी में भारत 120वें स्थान पर है। वहीं वार्षिक आवधिक श्रमबल सर्वे (पीएलएफएस) के मुताबिक 2021–22 में विनिर्माण उद्योग में कामकाजी महिलाओं का अनुमानित वितरण 11.2 फीसदी पाया गया है। कंसल्टेंसी फर्म ''मैर्किजे'' की एक रिपोर्ट तो यहां तक दावा करती है कि ''अगर देश में महिलाओं के साथ भेदभाव खत्म हो जाए तो वर्ष 2025 तक देश की जीडीपी में 46 लाख करोड़ रूपये के अतिरिक्त इजाफे के साथ विकास दर 1.4 प्रतिशत अतिरिक्त उछाल ले सकती हैं।''[7] इस योगदान के लिए कम से कम 6.8 करोड़ और कामकाजी महिलाओं की जरूरत पड़ सकती है। तब कामकाजी लोगों में 41 फीसदी महिलाएं हो सकती हैं। जिससे देश के विकास में चार–चांद लग जायेंगे।
6. महिला आत्मनिर्भर बहुआयमी और बहुमुखी होता है। यह पुरूष निरपेक्ष नहीं, बल्कि सापेक्ष विवर्श होता है और इसके लिए महिलाओं को पुरूषों से भी आगे निकलना होगा। महिला आत्मनिर्भर से अभिप्राय ऐसी शक्ति से है जो महिलाओं को सामाजिक, आर्थिक, राजनैतिक और कानूनी रूप से सोचने, समझने और जीवन की स्वतंत्रता देती है। आत्मनिर्भर का संबंध महिलाओं के जीवन के आत्मनिर्णय से है। आत्मनिर्भर भौतिक या आध्यात्मिक, शारीरिक या मानसिक, आन्तरिक या बाहरी सभी स्तरों पर महिलाओं में आत्मविश्वास जागृत करता है। महिला आत्मनिर्भर में महिला की आत्म अभिव्यक्ति और उसके व्यक्तित्व की आत्मा सम्मिलित है।

**महिला आरक्षण बना आत्मनिर्भर कानूनः–**

संसद में पारित महिला आरक्षण विधेयक पर राष्ट्रपति **द्रौपदी मुर्मू** ने अपने हस्ताक्षर कर, इसके बाद अब यह विधेयक कानून बन गया। सरकार ने इस संबंध में गजट अधिसूचना भी जारी कर दी हैं बता दें कि **''नारी शक्ति वंदन विधेयक''** को बृहस्पतिवार के दिन उपराष्ट्रपति और राज्यसभा के सभापति जगदीप धनखड़ के हस्ताक्षर के बाद राष्ट्रपति के पास उनके अनुमोदन के लिए भेजा गया था। महीने के शुरूआत में हुए संसद के विशेष सत्र में महिला आरक्षण से संबंधित संविधान संशोधन विधेयक को

20 सितम्बर 2023 को लोकसभा और 22 सितम्बर 2023 को राज्यसभा ने सर्वसम्मति से पारित किया गया था।

**तीन दशक से रूका था महिला आरक्षण (आत्मनिर्भर):–**

संसद में महिलाओं के आरक्षण का मामला लगभग 3 दशक से लटका था यह विषय पहली बार 1974 में महिलाओं की स्थिति का आंकलन करने वाली समिति ने उठाया था। वहीं 2010 में यूपीए सरकार ने राज्यसभा में महिलाओं के लिए 33 प्रतिशत आरक्षण के विधेयक को बहुमत से पारित करा दिया था। हालांकि वह इसे लोकसभा में पारित कराने के लिए नहीं लाई।

**महिला आरक्षण (आत्मनिर्भर) कानून के मुख्य बिन्दूः–**

1. महिलाओं को लोकसभा और राज्यसभा में 33 प्रतिशत आरक्षण मिलेगा, जिससे लोकसभा की 181 सीटों पर महिलाएं ही चुनाव लड़ सकेंगी।
2. अनुसूचित जाति और जनजाति की महिलाओ ंको महिला आरक्षण के भीतर ही एक तिहाई आरक्षण होगा।
3. पिछड़े वर्ग की महिलाओं को अलग से आरक्षण का प्रावधान नहीं है।
4. महिलाओं को यह आरक्षण 15 वर्ष के लिए दिया गया है।
5. महिला आरक्षण नई जनगणना और परिसीमन के बाद लागू होगा, यानि 2024 के चुनाव में महिला आरक्षण लागू नहीं होगा।
6. जब–जब भी परिसीमन होगा लोकसभा और राज्य विधानसभाओं में महिलाओं के लिए आरक्षित सीटों में फेर–बदल होगा।

क्यों होती है निराश
तू तो सहनशीलता का प्याला है
तो क्या हुआ तू मलाला नही
तूने घर को संभाला है
तू निकले गलियों से
वो देखे बुरी नजरें से
उसका कुछ नहीं कर सकते ये ही हमेशा कहा जाए
बस तू याद रख, बस तू याद रख
तेरा दुपट्टा ना सरकने पाए
ये कैसी विडंबना है
समान होने के बावजूद हमें पीछे चलना है
लड़के घूमे कम कपड़ों में, तो वे सुन्दर लगते हैं
लड़कियां पहन के घूमे तो, संस्कार नहीं है यही फब्तियां कसते हैं
आत्मनिर्भर अब हमें होना है
अब आगे हमें चलना होगा
कंक्रीट से भरे रास्तों में भी नगे पाव चलना होगा
अब आगे हमें बढ़ना होगा
बहुत लोग हैं रोकने वाले
झांसी की रानी अब बनना होगा
महिलाओं जाग जाओ
आत्मनिर्भर अब हमें होना है।

महिलाओं के आत्मनिर्भर में निवेश करना नैतिक अनिवार्यता और आर्थिक रणनीति, दोनों हैं जैसे–जैसे हम आगे बढ़ रहे हैं तमाम देशों को महिला आत्मनिर्भर के साथ–साथ मेंटोरशिया में भी नवाचार, सहयोग व निवेश जारी रखना चाहिए। आर्थिक समृद्धि व सामाजिक उन्नति का मार्ग महिलाओं के योगदान से ही प्रशस्त होती है और मार्गदर्शन इस यात्रा में महत्वपूर्ण कड़ी है। अब इन प्रयासों को ओर अधिक विस्तार देने का समय है, जिससे ज्यादा से ज्यादा समावेशी और समृद्ध भविष्य की राह तैयार हो सके। यहां प्रधानमंत्री **नरेन्द्र मोदी जी** का कथन स्पष्ट प्रतीत है ''आत्मनिर्भर भारत अभियान महिलाओं की क्षमता को देश के विकास के साथ जोड़ रहा है।''[8]

**निष्कर्षः–**

महिलाएं जो अपनी इच्छा और उद्देश्य को ठान लेती हैं, वह उसको पूरा करके ही दम लेती हैं। भारत में महिला आत्मनिर्भर का अंदाजा इस बात से भी लगाया जा सकता है। आज के समय में नारी ने पुरूषों को सभी क्षेत्रों में मात दी है। हर क्षेत्र में महिलाएं उनके साथ अपना कन्धे से कन्धा मिलाकर चल रही हैं।

महिलाओं को पूर्ण रूप से आत्मनिर्भर बनाना अति आवश्यक हैं। देश के बड़े–बड़े उद्योगों, संगठनों, क्षेत्रों से जुड़ी किसी भी क्षेत्र की महिलाएँ विशेषज्ञ अगर अपना थोड़ा सा समय किसी भी रूप में महिलाओं में देंगी, तो देश की तरक्की की राह आसान हो जाएगी और पुरूषों पर महिलाओं की निर्भरता में भी कमी आयेगी और महिलाओं में आत्मनिर्भरता, आत्मविश्वास का विकास होगा, जहां महिलाएं निर्णय लेने में स्वतंत्र होंगी। इस प्रकार महिलाएं देश में अपनी महत्वपूर्ण भागीदारी और जिम्मेदारी को समझेंगी भी और निभाने के लिए सक्षम भी बनेंगी।

एक नए क्षितिज की ओर अग्रसर आज की नारी किसी भी क्षेत्र में पुरूषों से कम नहीं है। परन्तु कुछ जगह ऐसी भी महिलाएं हैं जो आज भी पुरूषों पर आश्रित हैं, जिन्हें आज भी समाज में वह स्थान नहीं मिल पाया जो मिलना चाहिए था। उनकी इस दशा का कारण मात्र एक ही है, उनका ''आत्मनिर्भर'' न होगा। लेकिन जब से देश के प्रधामनंत्री **श्री नरेन्द्र मोदी जी** बने। उनका लक्ष्य महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने का रहा है। महिला को ध्यान में रखते हुए केन्द्र सरकार उज्ज्वला योजना, जनधन योजना, स्टैंड–अप इंडिया एवं महिला आरक्षण कानून भी लाई है। मुझे पूर्ण विश्वास है कि प्रस्तुत शोध पत्र महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने में सहायक होगा। ''आत्मनिर्भर नारी, सर्वहितकारी नारी''।

**संदर्भ सूचीः–**


1. डॉ. डी0. एन. झा, ''प्राचीन भारत की रूपरेखा'', पीपुल्स पब्लिकेशन हाउस, नई दिल्ली, संस्करण–2007, पृष्ठ सं. 67
2. डॉ. एन. सी. सिंहल, ''समकालीन राजनीति मुद्दे'', लक्ष्मी नारायण अग्रवाल, आगरा, संस्करण–2004, पृष्ठ सं. 117
3. डॉ0 सवलिया बिहारी वर्मा, ''ग्रामीण विकास'', आविष्कार पब्लिशर्स, जयपुर, संस्करण–2004, पृष्ठ सं. 136
4. के. एल. शर्मा, ''सामाजिक स्तरीकरण'', रावत पब्लिकेशन्स, जयपुर, संस्करण–2011, पृष्ठ सं0 211
5. रूद्रदत्त एवं के.पी.एम0, ''भारतीय अर्थव्यवस्था'', एस. चन्द एण्ड सुन्दरम कम्पनी लिमिटेड, नई दिल्ली, संस्करण–2009, पृष्ठ सं0 55
6. जनसत्ता, नई दिल्ली, 15 सितम्बर, 2023, पृष्ठ सं. 07
7. संदीप सिंह, ''ग्रामीण महिलाएँ योजनाएँ एवं विकास'', इंशिका पब्लिशिंग हाउस, जयपुर, संस्करण–2013, पृष्ठ सं. 57
8. राष्ट्रीय दैनिक जागरण, नई दिल्ली, 21 दिसम्बर 2023, पृष्ठ सं. 08